दिनांक 05.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 303/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

बाढ़ एवं बाढ़ संबंधी आपदा प्रबंधन विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने किया प्रतिभाग

आज दिनांक 05 जून 2026 को लखनऊ कैंट स्थित सूर्य ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA) एवं मध्य कमान के संयुक्त तत्वावधान में **"राष्ट्रीय संगोष्ठी : बाढ़ एवं बाढ़ संबंधी आपदा प्रबंधन"** का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्देश्य बाढ़ एवं जलजनित आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों, आपदा प्रबंधन संस्थाओं तथा विषय विशेषज्ञों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करना, अनुभवों एवं सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करना तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाना था।

संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री **श्री स्वतंत्र देव सिंह**, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **लेफ्टिनेंट जनरल योगेन्द्र डिमरी (सेवानिवृत्त)**, प्रमुख सचिव राजस्व उत्तर प्रदेश **श्रीमती अपर्णा यू०**, उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण **डॉ. उदय कांत मिश्र**, जीओसी-इन-सी मध्य कमान **लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता** तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भी सहभागिता की।

उक्त संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण ने अपने संबोधन में कहा कि बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो प्रतिवर्ष जनजीवन को प्रभावित करती है तथा अनेक बहुमूल्य जानें इसकी चपेट में आ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी चुनौती का सामना कोई एक विभाग अथवा राज्य अकेले नहीं कर सकता, बल्कि सभी हितधारकों के बीच समन्वित प्रयास ही इसका प्रभावी समाधान हैं।

पुलिस महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश पुलिस की आपदा प्रबंधन नीति के पाँच प्रमुख स्तंभ – **Prevention, Preparedness, Prediction, Protection एवं Prompt Response** – का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का लक्ष्य जलजनित घटनाओं में होने वाली प्रत्येक संभावित जनहानि को रोकना है।

उन्होंने बताया कि **माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2017 में एसडीआरएफ की स्थापना के बाद प्रदेश की आपदा प्रबंधन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।** वर्तमान में पीएसी की **17 बाढ़ राहत कंपनियाँ (51 प्लाटून) तथा एसडीआरएफ की 6 कंपनियाँ (18 टीमें)** पूर्ण

तत्परता के साथ कार्यरत हैं। लगभग 2,500 प्रशिक्षित जवान बाढ़ एवं अन्य आपदाओं से निपटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश के 44 जनपदों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर चिन्हित किया गया है, जिनमें 18 अति संवेदनशील 12 संवेदनशील एवं 14 सामान्य जनपद शामिल हैं। इन क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संसाधन एवं प्रशिक्षित मानवबल उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने कहा कि बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एवं एसडीआरएफ के पास आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित व्यापक संसाधन उपलब्ध हैं, जिनमें मोटरबोट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, सर्च लाइट, स्कूबा डाइविंग उपकरण, अंडर-वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम तथा अत्याधुनिक एम्बुलेंस शामिल हैं।

पुलिस महानिदेशक ने बताया कि प्रदेश की बाढ़ राहत कंपनियाँ 16 मई से 30 जून तक विभिन्न नदी घाटों पर 45 दिवसीय विशेष अभ्यास कर रही हैं, जिसमें नाव संचालन, स्कूबा डाइविंग, रोप रेस्क्यू, फर्स्ट एड, सीपीआर एवं राहत वितरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जलजनित अधिकांश दुर्घटनाएँ बाढ़ के दौरान नहीं, बल्कि धार्मिक स्नान, मेलों एवं मूर्ति विसर्जन जैसे आयोजनों के दौरान होती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा घाटों की सुरक्षा हेतु विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की गई है, जिसके अंतर्गत चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाइफ जैकेट की अनिवार्यता तथा नावों के सुरक्षित संचालन जैसे प्रावधान शामिल हैं।

पुलिस महानिदेशक ने प्रयागराज महाकुंभ-2025 का उल्लेख करते हुए कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बावजूद प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन, प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती, जल क्षेत्र में बैरिकेडिंग एवं सतत निगरानी के कारण डूबने से एक भी जनहानि नहीं हुई, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारियों और क्षमता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि यूपी-112 का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर प्रदेश की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है, जो चौबीसों घंटे कार्यरत रहकर वास्तविक समय में संसाधनों की निगरानी एवं त्वरित सहायता सुनिश्चित करता है।

अपने संबोधन के अंत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि आपदा प्रबंधन केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे तैयारी और क्षमता निर्माण की सतत प्रक्रिया के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने नियमित मॉक ड्रिल, विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक के उपयोग तथा जन-जागरूकता को भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल करने पर बल दिया।

दिनांक 05.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 304/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

विश्व पर्यावरण दिवस पर पुलिस मुख्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित, 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश

विश्व पर्यावरण दिवस-2026 के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित **'एक पेड़ माँ के नाम'** वृक्षारोपण महाअभियान-2026 के क्रम में आज दिनांक 05-06-2026 को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण**, अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) श्री अमिताभ यश तथा पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जी.एस.ओ. श्री के.एस. इमैन्युअल द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रतीक स्वरूप पौधारोपण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि तथा भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण के निर्माण का संकल्प लिया। इस अवसर पर वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के महत्व पर विशेष बल दिया गया तथा अधिकाधिक पौधे लगाने एवं उनकी नियमित देखभाल करने का आह्वान किया गया।

....

दिनांक 05.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 305/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठनए उ0प्र0 की कानपुर नगर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **''जीरो टॉलरेंस''** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0**, श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 05.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 की कानपुर नगर इकाई द्वारा राजू श्रीवास्तव पुत्र रामबाबू निवासी मोहल्ला किदवईनगर थाना गुरूसहायगंज जनपद कन्नौज से शिकायतकर्ता के मेडिकल स्टोर/क्लीनिक को सीएमओ कार्यालय द्वारा दी गयी नोटिस को निस्तारण कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री सूर्य प्रताप सिंह के नेतृत्व में महिला चिकित्सालय गेट के सामने जनपद कन्नौज से इरशाद वेग (वैक्सीन कोल्ड चैन प्रबन्धक सीएमओ कार्यालय कन्नौज) पुत्र सहादत वेग निवासी ग्राम नगला भीखा थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

....

दिनांक 05.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 306/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुरादाबाद/थाना मझोला

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 04.06.2026 को थाना मझोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मझोला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मझोला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष निवासी टोडी वाजिदपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–01 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **11 लाख 27 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.06.2026 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोजर वियर गोल चक्कर के पास सर्विस रोड मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–वकील उर्फ रिजवान 2–सरफराज उर्फ फैज घायल हो गये जिन्हें अभियुक्त 3–भोले उर्फ भोला 4–अलीजान सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, 11 लाख 27 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना सूरजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण एवं रूपये चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त वकील उर्फ रिजवान के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, सम्भल, कमिश्नरेट गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 32 अभियोग, अभियुक्त सरफराज उर्फ फैज के विरूद्ध जनपद रामपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–वकील उर्फ रिजवान निवासी ग्राम जनैठा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल हालपता–चौधरी सराय दामाद कालोनी थाना कोतवाली सम्भल।

2–सरफराज उर्फ फैज निवासी ग्राम जनैठा थाना बनियाठेर जनपद सम्भल हालपता–चौधरी सराय दामाद कालोनी थाना कोतवाली सम्भल।

3–भोले उर्फ भोला निवासी लहटोरिया थाना अछल्दा जनपद औरैया हालपता–नयागांव थाना फेस–02 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

4–अलीजान निवासी सावई थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ ।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–11 लाख 27 हजार रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

4–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद अयोध्या/थाना तारून</u>

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 05.06.2026 को थाना तारून व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त महेश कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तारून पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तारून पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–महेश कुमार निवासी ग्राम मकसूदनपुर थाना तारून जनपद अयोध्या।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना शालीमार गार्डन

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 17 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 05.06.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बजीराबाद रोड डीएलएफ से 04 अभियुक्तों 1–अजय कुमार 2–यश 3–मोहम्मद शाहदाब उर्फ राजा उर्फ ताऊ 4–मोहित उर्फ धर्मपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 17 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय कुमार निवासी गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

2–यश निवासी गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

3–मोहम्मद शाहदाब उर्फ राजा उर्फ ताऊ निवासी गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

4–मोहित उर्फ धर्मपाल सिंह निवासी गरिमा गार्डन थाना टीला मोड़, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 17 दो पहिया वाहन।

- **जनपद औरैया/थाना अजीतमल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अजीतमल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि की सपठित धारा 06 पॉक्सो एक्ट, धारा 452/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज उर्फ भूरा को सश्रम आजीवन कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सुलतानपुर/थाना धम्मौर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सुलतानपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सुलतानपुर द्वारा थाना धम्मौर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

____